संख्या-434/2018/97/22-2-2018-17(161)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2018***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामदयाल गुप्ता पुत्र श्री रामलुटावन गुप्ता, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-745/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-17-12-2017 दिनांक 05-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मो0 रामदयाल गुप्ता पुत्र श्री रामलुटावन गुप्ता, निवासी-ग्राम-टिनिच, थाना-गौर, जनपद-बस्ती का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 28.06.2003 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-39/2004 में भा0द0वि0 की धारा-304 बी0, 498ए, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, बस्ती के आदेश दिनांक 26.08.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित अपील में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2012 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 01 महिला सहअभियुक्त की मृत्यु हो गयी **है**। बन्दी द्वारा दिनांक 12.09.2017 तक 13 वर्ष 03 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 05 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व आयु के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रामदयाल गुप्ता (बन्दी संख्या-15141) पुत्र श्री रामलुटावन गुप्ता, निवासी जनपद-बस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-434/2018/97(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in